

ग्राम पंचायत - गोण्डा 01 कार्ड संख्या

2

सम्पत्ति वाले अंगणवाड़ी की योजना -

दिनांक: 1/1/2018

अंगणवाड़ी संख्या: 40
 पंचायत: मुसफ्फूर सिद्दीक
 जिला: कोयंबूर
 कार्ड संख्या: 01

पति/पत्नी और अश्रितों के सम्पत्ति (जमल, घल, बैंक बैलance, आदि) के धारा अधोलिखित है-

(क) घल सम्पत्ति का विवरण :-

सम्पत्ति की सीमा को इंगित करने वाले समुक्त नाम को सम्पत्ति भी दी जानी चाहिए।

क्र.सं.	विवरण	रकम	पत्नी	अश्रित-1	अश्रित-2	अश्रित-3
I.	जमल					
II.	बैंक, वित्तीय संस्थानों और बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में जमा	2000/-	50	50		
III.	बैंक, वित्तीय कंपनियों में शेयर	50	50			
IV.	अन्य वित्तीय संस्थान, एन.एफ.सी, एल.आर. पॉलिसी, आदि।	50	50			
V.	मोटर वाहन, आदि।	50	50			
VI.	आयुर्विहीन एवं पतनमान मूल्य का विवरण (यदि)	50000	50			
VII.	अन्य सम्पत्ति जो उसे कि दाता/दत्ता का मूल्य	50	50			

नोट- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज में नवीनतम बाजार मूल्य के अनुसार बॉन्ड/शेयर/ डिभेण्डर का मूल्य और सूचीबद्ध के नामलों के पुरतको के अनुसार दी जानी चाहिए।
 निम्न का आ. यह है की प्रतिनिधी के आय पर पर्याप्त रूप से निर्भर व्यक्ति है।

(निम्नलिखित रूपों में धन की सीमा को निर्धारित करने वाले संयुक्त स्तम्भिक को संशोधित करना चाहिए)।

क्र.सं.	विवरण	रुपय	पाना	अतिरिक्त	आवृत्ति-2	आवृत्ति-3
9.	वारि सुविधा-स्थान (स्थानीय) का संख्या-विस्तार (कुल माप)-वर्तमान बाजार मूल्य	1000000	00	00		
10.	वारि सुविधा-स्थान (स्थानीय) का संख्या-विस्तार (कुल माप)-वर्तमान बाजार मूल्य	00	00	00		
11.	भूदान(सांघिक/अपघोषित स्थान(स्थानीय) का संख्या-विस्तार (कुल माप)-वर्तमान बाजार मूल्य	00	00	00		
12.	नकाना/अपघोषित/आदि। स्थान (स्थानीय) का संख्या-विस्तार (कुल माप)-वर्तमान बाजार मूल्य	100000	00	00		
13.	अन्य(जिते सम्पत्ति में लगे)	00	00	00		

(निम्नलिखित) सार्वजनिक संग्रहणियों और सरकारी इलाक़ों के लिए अपनी देनदारियों/अतिरिक्त के धनरे नीचे दिया है-

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय से स्थानों के/विभाग (पाना)	धनरे (रुपय)
1.	बैंक से ऋण		
2.	वित्तीय संस्थानों से ऋण		
3.	सरकारी देय राशि (क) सरकारी आवास से निपटने वाले विभागों का बकाया। (ख) पानी की आपूर्ति से निपटने वाले विभागों का बकाया। (ग) बिजली से निपटने वाले विभागों का बकाया। (घ) टेलीफोन / मोबाइल से निपटने वाले विभागों का बकाया। (ङ) सरकारी परिवहन से निपटने वाले विभागों का बकाया।		00
4.	(ख) (1) अधिभार सहित आधुनिक निर्धारित वर्ष अंकित करे जिस पर अप्रकार रिटर्न दायित्व किया गया है। (स्थानीय खाता सं० (SAN) भी दें।		00
5.	(1) पन कर (निर्धारित वर्ष जिस सम्पत्ति पर रिटर्न दायित्व किया गया है)		00
6.	(1) बिजली का (केवल मालिकाना व्यवसाय में लागू है)		00
7.	(1) सम्पत्ति कर		00

